भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2803
12 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया

2803. श्री अ. मनि:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया क्या है और सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि पात्र व्यक्तियों को ही प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो;

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और महिला प्रधान परिवारों को पीएमएवाई-यू से अधिकतम लाभ की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए किए गए/किए जा रहे विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ग) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत संस्वीकृत, निर्मित और लाभार्थियों को सौंपे गए मकानों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) विशेष रूप से महानगरों में पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है; और
(ङ) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आवासों के निर्माण और आवंटन में तेजी लाने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की क्या योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। उनके संबंधित क्षेत्रों में आवास से संबंधित योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालाँकि, भारत सरकार जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है, ताकि सभी पात्र शहरी लाभार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराए जा सकें।

पीएमएवाई-यू के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान और परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। लाभार्थियों के पारदर्शी चयन के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कई स्तरों पर अनुमोदन के लिए लाभार्थी सूची की जांच की जाती है। पीएमएवाई-यू प्रस्तावों को केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा केंद्रीय सहायता की स्वीकृति से पहले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

योजना में आधार सीडिंग और लाभार्थियों का सत्यापन, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)/व्यय अग्रिम हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल के माध्यम से सहायता का हस्तांतरण, घरों की जियो टैगिंग आदि सिस्टम में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मजबूत पीएमएवाई-यू एमआईएस प्रणाली एकीकरण जैसे अंतर्निहित प्रावधान हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे।

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मैला ढोने वालों, महिलाओं (विधवाओं को अधिभावी प्राथमिकता के साथ), अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगजनों और ट्रांस जेंडर से संबंधित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी है। पीएमएवाई-यू के तहत लाभार्थियों को स्वीकृत, निर्मित और उन्हें सौंपे गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें परियोजना प्रस्ताव तैयार करती हैं और उन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध संसाधन के आधार पर चरणबद्ध तरीके से स्वीकार्य केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत करती हैं। आवासों की पूर्णता के लिए समय सीमा भूमि की उपलब्धता, निर्माण की शुरुआत के लिए वैधानिक अनुपालन, लाभार्थियों द्वारा धन की व्यवस्था, निविदा प्रक्रिया, साइट पर मूल इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान अर्थात जल आपूर्ति, सीवरेज, मेन रोड से संपर्क मार्ग आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है ।

इसके अलावा, प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है ताकि पात्र लाभार्थियों द्वारा चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये के आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से सस्ती लागत पर आवास का निर्माण, खरीद की जा सके

और किराये पर लिया जा सके। अब तक, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। योजना के दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/operational-guidelines-of-pmay-u-2.pdf पर उपलब्ध हैं।

*****

दिनांक 12.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2803 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

शुरूआत से पीएमएवाई-यू के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण/सुपुर्द किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण

क्रम संख्या		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत आवास (सं.)	निर्माणाधीन आवास (संख्या)	पूरे किए गए/सुपुर्द किए गए आवास (संख्या)
1.	राज्य	आंध्र प्रदेश	21,37,028	19,46,394	10,03,220
2		बिहार	3,14,477	3,08,391	1,61,011
3.		छत्तीसगढ़	3,02,663	2,85,324	2,46,352
4		गोवा	3,146	3,146	3,145
5		गुजरात	10,05,204	9,79,715	9,32,396
6		हरियाणा	1,15,034	90,422	69,011
7		हिमाचल प्रदेश	12,758	12,640	10,890
8		झारखण्ड	2,29,156	2,13,900	1,49,955
9		कर्नाटक	6,38,121	5,72,472	3,76,314
10		केरल	1,67,322	1,53,353	1,26,806
11		मध्य प्रदेश	9,61,147	9,45,013	8,34,789
12		महाराष्ट्र	13,64,923	10,94,519	8,70,689
12		ओडिशा	2,03,380	1,85,273	1,53,960
14		पंजाब	1,32,235	1,18,331	90,985
15		राजस्थान	3,19,877	2,96,389	2,08,036
16		तमिलनाडु	6,80,347	6,64,731	5,87,352
17		तेलंगाना	2,50,084	2,34,737	2,23,318
18		उत्तर प्रदेश	17,76,823	17,58,368	16,46,083
20		उत्तराखंड	64,391	62,404	38,090
20		पश्चिम बंगाल	6,68,953	6,07,277	4,18,551
उप- कुल (राज्य):-			**1,13,47,069**	**1,05,32,799**	**81,50,953**
22	पूर्वोत्तर राज्य	अरुणाचल प्रदेश	8,499	8,070	8,063
22		असम	1,76,643	1,69,036	1,14,632
23		मणिपुर	56,037	50,430	14,964
24		मेघालय	4,758	4,006	1,789
25		मिजोरम	39,605	39,076	19,353
26		नागालैंड	31,860	31,055	26,113
28		सिक्किम	316	316	202
28		त्रिपुरा	92,854	87,300	75,112
उप-कुल (एन.ई. राज्य):-			**4,10,572**	**3,89,289**	**2,60,228**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	376	376	47
30		चंडीगढ़	1,256	1,256	1,256
31		दादर एवं नगर हवेली दमन और दीव	9,947	9,947	9,230

32		दिल्ली	29,976	29,976	29,976
33		जम्मू और कश्मीर	47,040	41,937	27,660
34		लद्दाख	1,307	991	876
34		लक्षद्वीप	-	-	-
38		पुद्दुचेरी	15,995	15,923	10,481
उप- कुल (संघ राज्य क्षेत्र):-			**1,05,897**	**1,00,406**	**79,526**
कुलयोग:-			**118.64 लाख**	**114.23 लाख***	**88.32 लाख***

* मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के पूर्ण (3.41 लाख)निर्माणाधीन(4.01 लाख) आवास शामिल हैं।

*****